Form No. 2

अतिरिक्त बही संख्या

स्टाम्प मूल्य
नोट: यह खाना इस इस किस्म के नोटों के लिए भी प्रयोग हो सकता है जो साधारण पुस्तक संख्या 4 के कॉलम के खाने में लिखे जाते हैं।

स्टाम्प
किस
नं0
स्टाम्प बेचने वाले का नाम

इन्दराजी
संख्या :—
मामले की
और सब
रजिस्ट्री की
और अन्य शुल्क
प्राप्त हुआ
63

नं0 दस्तावेज
दस्तावेज की
मूल्य
रजिस्ट्री फीस
फीस नकल
शब्दों की सं
फीस अनुवाद
फीस कमीशन

№ 884990 Himachal Government Judicial Paper

वकालत नामा

Presented by Smt Anagnatha, Executant
Analysed by
Gopal Singh
For registration

मैं कि श्रीमति भागीरथी पत्नी विपन श्री रामजीवन कर्मी
पुत्र तह: Dichut जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश की है।
जो कि मुजाहिरा की आयु इस समय लगभग 72 साल
की हो चुकी है। बूढ़ी है इस जिन्दगी तथा इस की कोई
भरोसा नहीं कि कब और किस जगह सफर आखरी
पर पड़ जाए। मेरे पांच पुत्र सर्वश्री राम स्वरूप, रैन स्वरूप
दलकी स्वरूप, आत्म स्वरूप और केवल राम थे, जिन में से
श्री केवल राम की उम्र न बल्ला नहीं की और वह कयाम
पा गया हुए का हुए श्री जगपाल है। मेरी ने प्रतिवादी श्री
श्रीमति इन्द्रा देवी व महन्ती देवी की जो कि कयाम पा
चुकी है, मैं ने उन की शादी का दी थी और जो कुछ
मैं ने उन को देना था वह दे चुकी हूं। मैं अपनी जायदाद
की वसीयत करना चाहती हूं ताकि बाद वफात मेरे
मौ वारिसान में मेरी जायदाद की बाबत झगड़ा पैदा
न होवे। अतः मुजाहिरा बसिहत सफास व सकाते अकल
होश व हवास खमसा खुद बिला किसी दबाव व
बहकावे के बजाये तहरीर हज़ा वसीयत करती है
लिख देती है कि बाद वफात मेरे मेरी जायदाद
मनकूला व गैर मनकूला जो किसम वाका मौजीयात
हुए, पलान बकरी, अन्दला चारदीवारी, पुराना कोठा
तह: Dichut या इस के इलावा किसी भी मौजा
जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश या हरियाणा है या
आबाद, हिस्सों के मालिक सर्वश्री राम स्वरूप

No. 884978 Himachal Government Judicial Paper

गोन्दा स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप, ओमप्रकाश पुत्र श्री गंगाधर निवासी मौजा पनाह 4/5 हिस्सा + श्री गोपाल पुत्र श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] 1/5 हिस्सा वाली जगह वह लिखा करते। दोनों फरीकों में कोई जायदाद की बाबत कोई मुकदमा या कलह न होगा। और कोई झगड़ा पैदा होगा तो वह अब होगा और आगे को नहीं होगा। मौके पर ही मौके पर एक मेल के जिम्मेवार होंगे। और बाद बात हो जाने पर पंचायत की शरत को और बंदी बरकरार करने के लिये बाद होंगे। वसीयत लेख का रवाज मौके पर करने के बाद होगा। और यह चन्द निकात कागजात वसीयत मामा के बन्दन पार्टी का लिखे कि काम पर काम आवे, तिथि 27.8.50.

गवाह
श्री केशो राम पुत्र
श्री मोहन लाल
वाली मेल वह लिखा
+ [illegible]

श्री [illegible]
वसी

गवाह
श्री गोपाल सिंह पुत्र
श्री [illegible] वाली
मेल लीखा
[illegible]
गोपाल वाली